बिहार राज्य और अन्य

बनाम

बलिराम सिंह और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10806/2018)

29 अक्टूबर, 2018

[ए. एम. खानविलकर और एल. नागेश्वर राव, जेजे.]

सेवा कानून- पिछला वेतन- वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त उत्तरदाता- वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के पदों को समाप्त कर दिया गया- चुनौती- अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में नियुक्त किया- उक्त योजना को 1 अप्रैल, 2001 से समाप्त कर दिया गया- उत्तरदाताओं की सेवा समाप्त- राज्य सरकार द्वारा 20 मई, 2005 को सभी छंटनी किए गए कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नीतिगत निर्णय- पत्र दिनांक 16 मार्च, 2007 के अनुसार नियुक्त उत्तरदाता- उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए उन्हें वेतन का भुगतान करने और उसी अवधि को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को पिछली सेवाओं की निरंतरता देने का निर्देश देने के लिए रिट याचिका दायर की गयी- रिट याचिका स्वीकार की गयी- अपील में, अभिनिर्धारित किया : उत्तरदाताओं ने 1 अप्रैल, 2001 से गैर-औपचारिक शिक्षा योजना

को बंद करने के बाद न तो समाप्ति आदेश को और न ही 20 मई, 2005 की उस नीति को, जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया था या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र को चुनौती दी- उन्होंने केवल 2013 में विषय रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना और इस प्रकार, यह बाधाओं से ग्रस्त है- यहां तक कि नियुक्ति पत्र दिनांक 16 मार्च, 2007 में कहा गया कि नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी और पिछली सेवाओं की गणना केवल पेंशन देने के उद्देश्य से की जाएगी और इससे अधिक कुछ नहीं- उत्तरदाताओं ने बिना किसी बाधा के नियुक्ति के ऐसे नियमों और शर्तों पर काम किया- जब तक कि उत्तरदाताओं को उनके पिछले पद (1 अप्रैल, 2001 से पहले आयोजित) में बहाल नहीं किया जाता है, तब तक वापस मजदूरी देने का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठेगा- वापस मजदूरी की राहत केवल बहाली के आदेश से जुड़ी हो सकती है- इसे अलगाव में या उस अवधि के दौरान प्रदान नहीं किया जा सकता है जब उत्तरदाता नौकरी में नहीं थे- उत्तरदाता दावे के अनुसार राहत के हकदार नहीं हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 प्रत्यर्थी ने न तो 1 अप्रैल, 2001 से गैर-औपचारिक शिक्षा योजना को बंद करने के बाद समाप्ति आदेश को और न ही 20 मई, 2005 की नीति को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया है या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र को चुनौती दी। यहां तक कि 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र में भी स्पष्ट रूप से

कहा गया है कि नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी और पिछली सेवाओं की गणना केवल पेंशन देने के उद्देश्य से की जाएगी और इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्यर्थियों ने बिना किसी बाधा के नियुक्ति के ऐसे नियमों और शर्तों पर कार्य किया। जब तक उत्तरदाताओं को उनके पिछले पद (1 अप्रैल, 2001 से पहले आयोजित) में बहाल नहीं किया जाता है, तब तक वापस मजदूरी देने का सवाल ही नहीं उठेगा। पिछले वेतन की राहत को केवल बहाली के आदेश से जोड़ा जा सकता है। इसे पृथक रूप से या उस अवधि के दौरान प्रदान नहीं किया जा सकता है जब उत्तरदाता बिल्कुल भी रोजगार में नहीं थे। [पैरा 18] [64-ए-डी]

1. 2 इसलिए, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका एक से अधिक कारणों से गुणदोष से रहित थी। सबसे पहले, यह केवल वर्ष 2013 में दायर होने के बाद में होने से बाधाओं ग्रसित है। दूसरा, 1 अप्रैल, 2001 से समाप्त होने और 20 मई, 2005 की नीति या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रत्यर्थियों के पक्ष में बहाली का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता और इस तरह के आदेश के बिना, प्रत्यर्थियों को उस अवधि के लिए वापस मजदूरी नहीं दी जा सकती जिसके दौरान वे अपीलार्थियों के रोजगार में नहीं थे और इसलिए भी कि उन्होंने उस अवधि के दौरान काम नहीं किया था। तीसरा, जिस योजना के संबंध में उत्तरदाताओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, उसे 1 अप्रैल, 2001 से बंद

कर दिया गया था। बहाली का कोई भी आदेश उसके बाद की अवधि के लिए और 16 मार्च, 2007 को एक नए पद पर उत्तरदाताओं की नियुक्ति तक पिछले वेतन से बहुत कम नहीं किया जा सकता था। यदि जिस योजना में वे कार्यरत थे, उसे समाप्त कर दिया गया है, तो न्यायालय 1 अप्रैल, 2001 से योजना के उन्मूलन के बाद की अवधि के लिए वापस मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकती है। चौथा, 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' का सिद्धांत उत्तरदाताओं को मजदूरी की राहत से वंचित कर देगा। पाँचवाँ, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा मामले में निर्णय, तथ्यों के आधार पर अलग है और, किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दी गई राहत यहाँ उत्तरदाताओं को समान राहत देने का आधार नहीं हो सकती है, जो उस मामले में इस न्यायालय द्वारा राज्य की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के बावजूद, मौजूदा विनियमों या नीति के अनुरूप नहीं है। अंत में, अरुण कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत, प्रत्यर्थियों के मामले में उचित शक्ति में लागू होगा। [पैरा 19] [64-डी-एच; 65-ए]

1.3 उत्तरदातागण उन नियमों और शर्तों पर कार्य करते हुए राहत के हकदार नहीं हैं, जिन पर उन्हें 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। [पैरा 21,22] [67-ए-बी]

श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्र बनाम बिहार राज्य और अन्य में **पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीडब्ल्यूजेसी सं. 1712/2002 में 29 अगस्त, 2005 को निर्णय लिया गया-विशिष्ट।**

अश्वनी कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य **(1997) 2 एससीसी 1: [1996] 10 पूरक एससीआर 120**; बिहार राज्य वयस्क और गैर-औपचारिक शिक्षा कर्मचारी संघ और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य **1996 एससीसी ऑनलाइन पटना 235; (1996) 2 पीएलजेआर 394;** बिहार राज्य और अन्य बनाम अरुण कुमार में **सीडब्ल्यू जे सी सं. 1712/2002 में 29 अगस्त, 2005** को पारित निर्णय; विनोद कुमार वर्मा मामले का फैसला 14 फरवरी 2005 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15365/2001 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित; कृष्णंदन सिंह मामला, **23 मई, 2003 को सीडब्ल्यूजेसी सं. 12469/2002** में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित; अमर नाथ प्रसाद कर्ण ममले में 10 जुलाई 2017 को **सीडब्ल्यूजेसी सं.18490/2008** में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित; योगी कामती और सुनील कुमार मामले में **11 जुलाई, 2017 को सीडब्ल्यूजेसी सं. 18960/ 2008 और 18993/ 2008 में** पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित; असगर अली मामले में 4 जनवरी, 2010 को डब्ल्यूपीएस सं. 729/2004 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित -संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

[1996] 10 पूरक एससीआर 120 संदर्भित पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 10806/ 2018

एलपीए संख्या 2307/2016 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.01.2018 से।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

नवनीति प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाश भारुका, जस्टिन, वैभव नीति, देवाशीष भारुका, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय

ए. एम. खानविलकर, न्यायाधिपति द्वारा किया गया

1. अवकाश अनुदत्त की गयी।

2. यह अपील एल.पी.ए. सं. 2307/2016 में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2018 से उत्पन्न होती है, जिसमें सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 22208/2013 में दिनांक 22 अगस्त, 2016 के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमे 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए वेतन के भुगतान में राहत के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका

को अनुमति दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को उक्त अवधि के लिए वेतन के रूप में राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. उत्तरदाताओं ने शुरू में एक रिट याचिका दायर कर अपीलकर्ताओं के खिलाफ वैधानिक ब्याज के साथ 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। एक संशोधन के माध्यम से, उक्त अवधि के लिए उत्तरदाताओं को वेतन का भुगतान करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को पिछली सेवाओं की निरंतरता देने के लिए अपीलार्थियों को एक अनिवार्य रिट जारी करने का दावा किया गया था। उत्तरदाताओं ने जोर दिया कि उन्हें 1979 और 1983 के बीच प्रकाशित विज्ञापनों के अनुसार 1981 और 1987 के बीच वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह कहा गया है कि वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के 771 पदों को राज्य सरकार के निर्णय के संदर्भ में शेष 367 पर्यवेक्षकों को समायोजित करने के बाद समाप्त कर दिया गया था, जो वर्ष 1991 में पदों के उन्मूलन तक काम करते रहे।

4. इन समाप्ति आदेशों को उत्तरदाताओं के संघ, अर्थात् बिहार राज्य वयस्क और गैर-औपचारिक शिक्षा कर्मचारी संघ द्वारा सीडब्ल्यूजेसी सं. 5036/1992 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उस रिट

याचिका का निपटारा संबंधित मामलों के साथ दिनांक 24 मई, 1996 के फैसले के माध्यम से किया गया था। फैसले के पैराग्राफ सं. 36 और 37 को इस प्रकार पढ़ा गयाः

> "36. इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्तियां एक ऐसी योजना के लिए की गई थीं जो विशुद्ध रूप से अस्थायी थी, इसलिए मेरे लिए प्रतिवादी अधिकारियों से उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए कहना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने पहले ही देखा है कि उनकी नियुक्तियां उचित विज्ञापन आदि के बाद सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई थीं। मैंने यह भी देखा है कि दस से चौदह वर्षों तक लगातार प्रदान की गई उनकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य के अधिकारियों ने स्वयं ऐसे कम से कम 771 पर्यवेक्षकों को शामिल किया था और बाकी के लिए कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा था। याचिकाकर्ता यह भी सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल रहे हैं कि इस तरह के समायोजन को रद्द करने का अधिकारियों का निर्णय न केवल दुर्भावनापूर्ण था बल्कि शर्मनाक भी था। लेकिन अब उत्तरदाताओं द्वारा एक रुख अपनाया जा रहा है कि वे 771 पद भी अस्थायी थे इसलिए याचिकाकर्ताओं को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, इन

प्रष्ठभूमिओं में, याचिकाकर्ताओं की समाप्ति के आदेश को रद्द करना उचित नहीं होगा।

37. लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई लंबी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों ने अन्य विभागों में भी उन्हें शामिल करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया था। इसलिए, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रतिवादी-प्राधिकारिओं को निम्नलिखित निर्देश के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा करता हूंः(ए) याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेप करने वालों को इन 771 पदों के खिलाफ जारी रखने की अनुमति देना, जिनके खिलाफ उन्हें संबंधित विभाग के पत्र, दिनांक 19 दिसंबर, 1990 के संदर्भ में समायोजित किया गया था। लेकिन ऐसा समायोजन उनकी वरिष्ठता के अनुसार किया जाना है या (बी) यदि उन पदों को भी समाप्त कर दिया गया है, तो याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप करने वालों के साथ इसी तरह समायोजित करने के लिए कदम उठाएं, जिस तरह समेकन विभाग के कर्मचारियों को समायोजित किया गया था या (सी) यदि किसी उचित कारण से शर्त सं. (ए) या (बी) संभव नहीं हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य के समान निर्णय लें जिसका मैं पहले ही इस आदेश के पैराग्राफ नं. 18

में उल्लेख कर चुका हूँ और उन्हें तदनुसार समायोजित/अवशोषित करें। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं विवादित आदेश को रद्द करने के लिए खुद को राजी नहीं कर सका। उपरोक्त निर्देशों/टिप्पणियों के साथ, इन रिट आवेदनों का निपटान किया जाता है। लेकिन पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।"

5. उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने 15 मार्च, 1998 के आदेश के अनुसार गैर-औपचारिक शिक्षा योजना/वयस्क शिक्षा योजना में उत्तरदाताओं को नियुक्त किया। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

"बिहार सरकार

माध्यमिक, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, तारीखः15 मार्च, 98

No.24/Mu. 5-042/92 P. E. 112/C. W. J. C.-5036/92

1. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 5036/92 और अन्य संलग्न याचिकाओं में दिनांक 24.5.96 को पारित आदेश के आलोक में और एम.जे.सी. सं. 2884/96 और 3172/96 में दिनांक 26.11.97 को पारित

आदेश के अलोक में अनौपचारिक जिलान्तर्गत परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत और खाली पदों के विरुद्ध लोक शिक्षा निदेशालय के तहत सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम ने निम्नलिखित सेवा के लिए अनौपचारिक शिक्षा के तहत परियोजना अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों के साथ-साथ वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षकों को अनौपचारिक शिक्षा के तहत परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्ति देते हुए लोक शिक्षा निदेशालय, बिहार पटना में शामिल होने का आदेश पारित किया है।

क्रमांक	नाम	संशोधित/ प्रावधिक	गृह जिला	जिला. जहाँ से छंटनी की गई थी
1.	श्रीमती कल्याणी देवी	1.	भागलपुर	पाकुड
2.		2.		
3.		3.		

4.				
5.				
453	श्री पन्ना लाल यादव	500	डब्ल्यू .सिंहभूम	डब्ल्यू .सिंहभूम

2. उपरोक्त सभी नियुक्त कर्मचारी कार्यभार के समय अनिवार्य रूप से सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

3. इस नियुक्ति को नई नियुक्ति माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पिछली सेवाओं की गणना उनकी पेंशन,/पदोन्नति/समयबद्ध पदोन्नति आदि के लिए नहीं की जाएगी।

4. यदि उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा उनके पहले के प्रभार नहीं सौंपे जाते हैं, तो पहले का प्रभार सौंपने के बाद ही नए तैनात स्थान पर नियुक्ति की जाएगी।

5. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को इस पत्र में उल्लिखित वेतनमान का केवल प्रारंभिक वेतन ही तुरंत देय होगा।

6. उपरोक्त सभी कर्मचारियों की सेवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम/वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की नीति और सिद्धांत के तहत होगी।

7. उपरोक्त सभी नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों को कार्मिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा छंटनी और समायोजन के संदर्भ में पहले जारी किए गए परिपत्रों के तहत माना जाएगा।

8. लोक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा तैयार की गई संशोधित अनंतिम वरिष्ठता सूची में क्रमांक संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस पत्र में उल्लिखित कर्मचारियों के पद में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

9. यदि लोक शिक्षा निदेशालय द्वारा समीक्षा के दौरान, किसी भी उपरोक्त कर्मचारी के खिलाफ बकाया या अवमूल्यन का प्रमाण मिलता है, तो उसकी वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर आरोप पाए जाते हैं या उनकी सेवा असंतोषजनक पाई जाती है, तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

10. उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी अपनी नियुक्ति के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि उनकी नियुक्ति औपचारिक तरीके से और नियम के अनुसार की गई है और यदि भविष्य में उनकी नियुक्ति अवैध/अनियमित पाई जाती है, तो

उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और वे दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

11. वह कर्मचारी जिसे परियोजना अधिकारी के पद पर अनौपचारिक शिक्षा के तहत प्रोढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक की श्रेणी में तीन साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा दिसंबर, 97 तक बढ़ा दी गई थी, उनकी नियुक्ति को भी नई नियुक्ति माना जाएगा।

12. उपरोक्त सभी नियुक्त कर्मचारी इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लोक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना में शामिल होंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन सं.- 412/पटना, दिनांक : 15 मार्च 1998

इसकी प्रति - सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची को भेजी गई है।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन सं.- 412/पटना, तिथिः15 मार्च 1998

प्रतिलिपि इस पते पर भेजी गईः- सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोषागार अधिकारी, विकास भवन, पटना सचिवालय।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन सं.- 412/पटना, तिथिः15 मार्च 1998

प्रतिलिपि भेजी गईः- सभी जिला मजिस्ट्रेट/सभी डिप्टी विकास आयुक्त/सभी जिला लोक शिक्षा अधिकारी/सभी सहायक डायरेक्टर, अनौपचारिक शिक्षा को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन सं.- 412/पटना, तिथिः15 मार्च 1998

प्रतिलिपि भेजी गईः- सभी संबंद कर्मचारी ..... जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन संख्या- 412/पटना, तिथिः15 मार्च 1998

प्रतिलिपि भेजी गईः- सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

Sd./-dated 15-3-98

[विष्णु कुमार]

निदेशक, लोक शिक्षा, बिहार, पटना

ज्ञापन सं.- 412/पटना, तिथिः15 मार्च 1998

[सही अनुवादित प्रतिलिपि] "

(जोर दिया गया)

6. यह ध्यान दिया जाए कि परियोजना अधिकारी के पद पर उत्तरदाताओं की नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी। उत्तरदाताओं ने नियुक्ति के उक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया और किसी भी उत्तरदाता ने इसे चुनौती नहीं दी। जिस योजना के संबंध में उत्तरदाताओं की नियुक्ति की गई थी, उसे 1 अप्रैल, 2001 से समाप्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। हालाँकि,

उत्तरदाताओं ने न तो उस योजना को समाप्त करने के नीतिगत निर्णय को चुनौती दी, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम योजना लागू की गई थी और न ही उनके समाप्ति आदेश को। वास्तव में, कुछ प्रभावित व्यक्तियों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से अपने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी। हम इस पहलू का थोड़ा बाद में प्रचार करेंगे।

7. यह निर्विवाद है कि राज्य सरकार ने 20 मई, 2005 को सभी 1427 छंटनी किया गए कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया था। नीति संकल्प में परिलक्षित होती है, जो इस प्रकार हैः

"बिहार राज्य

मानव संसाधन विकास विभाग

(प्राथमिक और वयस्क शिक्षा)

संकल्प

पटना तारीखः- मई, 2005

अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य में भी ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए किया गया था, जिनकी आयु लगभग 6-14 वर्ष की आयु के हैं और

जो अध्ययन के लिए सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कार्यक्रम में किए गए खर्चों को निर्दिष्ट अनुपात में वहन कर रही थी। केंद्र सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को रोकने और इस उद्देश्य के लिए शिक्षा गारंटी कार्यक्रम/ उद्देश्य और नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम को 01-04-2001 से विनियमित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की 01.04.2001 से छंटनी की गयी ।

क्रमांक	पद का नाम	आवश्यक योग्यता	वेतन	छंटनी कर्मचारियों की संख्या
1.	परियोजना अधिकारी	स्नातक	5,000-8,000	316
2.	लिपिक कम लेखाकार	मैट्रिक	4,000-6,000	346
3.	लिपिक कम टाइपिस्ट	मैट्रिक	4,000-6,000	346
4.	आशुलिपिक	मैट्रिक	4,000-6,000	1
5.	ड्राइवर	साक्षर	3,050-4,590	30

6.	चपरासी	साक्षर	2,550-3,200	370
कुल				1,427

2. औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में बताए गए उपरोक्त प्रावधानों के तहत 1427 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समायोजन का मामला सरकार के समक्ष लंबित था। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ छंटनी किए गए कर्मचारियों के समायोजन के लिए निम्नलिखित तरीकों से निर्णय लिया हैः

ए. संबंधित छंटनी किये गए कर्मचारी को ऐसे पद पर समायोजित किया जाएगा जिसके लिए उसके पास आवश्यक निर्धारित शैक्षिक योग्यता है और उसके लिए कोई नया पद नहीं बनाया जाएगा।

बी. उन्हें उसी वेतन के लिए समायोजित किया जाएगा जिस पर उन्हें हटाया गया था। पद/रिक्ति की अनुपलब्धता के मामले में और उनकी लिखित सहमति देने पर, छंटनी किये गए कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाएगा।

सी. आरक्षण सूची का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। छंटनी किए गए कर्मचारियों को उसी वर्ग के रोस्टर बिंदु के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं।

डी. समायोजन के लिए आयु की अधिकतम सीमा समाप्त हो जाएगी।

ई. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिश के आलोक में, उनके संकल्प संख्या 209 दिनांकित 06.07.92 में उल्लिखित छंटनी किए गए कर्मचारियों की परिभाषा के अनुसार, लोक शिक्षा निदेशक विद्वान परामर्शदाताओं की सलाह के आलोक में उचित पैनल तैयार करेगा, सभी 1,427 कर्मचारियों को हटा दिया गया है।

एफ. प्रत्यक्ष भर्ती को विभिन्न विभागों में समायोजन की श्रृंखला में नहीं रोका जाएगा। लोक शिक्षा निदेशक विभिन्न विभागों में समायोजन के उद्देश्य से पद को चिह्नित करने के लिए कार्यवाही शुरू करेगा।

G. समायोजन के माध्यम से चिह्नित पद को दाखिल करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की सहमति आवश्यक नहीं है।

एच. रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार, नियुक्तियां समय-समय पर मुख्य सचिव की मंजूरी प्राप्त करने के बाद

समायोजन के माध्यम से की जाएंगी। मुख्य सचिव को इस तरह की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल या राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

I. हटाए गए कर्मचारियों के समायोजन को एक नई नियुक्ति माना जाएगा। नौकरी से हटाए जाने से पहले उन्हें अपनी सेवा के आधार पर वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन छंटनी से पहले की सेवा अवधि का उपयोग पेंशन के उद्देश्य से किया जाएगा।

जे. जिन कर्मचारियों की छंटनी रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण तत्काल समायोजन नहीं किया जाता है, उनकी सूची तैयार करने के बाद उन्हें अगले पांच वर्षों में उपलब्ध रिक्ति पद के साथ समायोजित किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

एस. डी./अवैध-विजय प्रकाश

सचिव

प्राथमिक और वयस्क शिक्षा

20/5/2005 "

(जोर दिया गया)

8. यहां तक कि इस नीति से यह भी स्पष्ट होता है कि हटाए गए कर्मचारियों का समायोजन एक नई नियुक्ति होनी थी और कर्मचारियों को हटाए जाने से पहले उनकी सेवाओं के आधार पर वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, छंटनी से पहले की सेवा की अवधि केवल पेंशन उद्देश्यों के लिए मानी जाएगी। यहां तक कि इस नीति को भी उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

9. उत्तरदाताओं को अंततः 16 मार्च, 2007 के पत्र के अनुसार नियुक्त किया गया। उक्त पत्र इस प्रकार हैः

"पत्र सं।- 13/एस्ट। 15-05/06 270/

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

डॉ. मदन मोहन झा

आयुक्त सह सचिव

प्रेषिती,

आयुक्त-सह-सचिव,

खाद्य और आपूर्ति विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, तारीखः16 मार्च, 2007

विषयः- राज्य सरकार द्वारा पारित संकल्प सं.-582 दिनांक 20.05.05 और 1638 दिनांक 11.10.06 के दौरान, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.-5036/92 और M. J. C. No.-2884/96 में पारित आदेश के अनुपालन में, वयस्क सार्वजनिक शिक्षा के पर्यवेक्षकों के समकक्ष पदों पर समायोजन के बारे में।

श्रीमान,

1. उपरोक्त विषयों के संदर्भ में, निर्देश के अनुसार, यह कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के तहत पर्यवेक्षी श्रेणी के बराबर रिक्त पदों के खिलाफ, संबंधित वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पुनः समायोजन का निर्णय लिया जाता है, जिसके संदर्भ में दिनांक 01.04.01 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के समापन के परिणामस्वरूप अन्य विभागों में समायोजन का निर्णय लिया गया और जिसका समायोजन वर्ष 1998 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत पदों की कमी के कारण लिपिक के पद के खिलाफ कुछ समय के लिए, वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक श्रेणी के कर्मचारी, संकल्प No.-582 दिनांक 20.05.05 से संबंधित विभिन्न विभागों/कार्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ समायोजन के लिए किया गया था । इस संदर्भ में, संकल्प संख्या 582 दिनांकित 20.05.05 और

संकल्प संख्या 1638 दिनांकित 11.10.06 की प्रति संलग्न की गई है।

खाद्य और आपूर्ति विभाग के पत्रांक 646 दिनांक 25.03.05 के माध्यम से सरकार के उक्त निर्णय और एवं आपूर्ति निरीक्षक के संसूचित रिक्त पदों पर कर्मचारियों से समायोजन के लिए प्राप्त विकल्प के आधार पर नियुक्ति/वेतन समायोजन के लिए वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षी श्रेणी के निम्नलिखित कर्मचारियों की छंटनी किये गए कर्मचारियों में से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आपूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध स्केल [5000-8000]:-

क्रमांक	नाम	आरक्षण श्रेणी	जन्म दिनांक	गृह जिला	वयस्क शिक्षा पर्यवेक्षक के पद पर पहली बार शामिल होने की	वर्तमान में किस कार्यालय विभाग में समायोजन या समायोजन किया जाना है

					तिथि	
1	स्वर्ण लता फ़्रांसिस	एस.टी टी	25.06.58	कोडरामा	01.03.82	डी. एस. आई. समस्तीपुर के कार्यालय में लिपिक
2	दिनेश चंद्र मांझी	एस.टी टी	02.04.56	गिरिडीह	05.03.82	R.D.E.D. दरभंगा
3	रसीक मर्म	एस. टी	03.01.57	दुमका	13.04.82	R.D.E.D. दरभंगा
4	मुंशी मुर्मू	एस. टी	03.01.57	दुमका	14.04.82	R.D.E.D. दरभंगा
5	थियोफिल टुड्डू	एस. टी	12.08.49	दुमका	15.04.82	एस. मधुबानी कार्यालय में लिपिक
6	टिमोथी मरांडी	एस. टी	19.04.55	दुमका	27.01.83	P.T.E.C में लिपिक. घोघरडीह मधुबानी
7	जगन्ना	एस.	16.01.	रांची	01.09.8	R.D.E.D.

	थ सिंह	टी	58		4	दरभंगा
8	कुमारी उषा किरण	WB C-1	05.06.56	पटना	21.05.80	डब्ल्यू.पर्यवेक्षक सी.डी.पी.बधारा भोजपुर
9	भगवान ओस्ता	BC-1	16.07.49	दुमका	15.06.81	जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कटिहार
10	राधा प्रसाद वर्मा	BC-1	30.07.51	पलामू	15.01.82	दिस। मजिस्ट्रेट पूर्णिया
11	देवेंद्र ठाकुर	BC-1	09.03.54	भोजपुर	06.08.82	कल्याण विभाग में अनुशंसित
12	मुनेश्वर प्रसाद	BC-1	25.09.52	गया	06.08.82	उप-मंडल कार्यालय मसाओदी में लिपिक
13	मोइसे अंसारी	BC-1	05.02.57	ई. चंपारण	06.08.82	जिला मजिस्ट्रेट गोपालगंज
14	रामायण	BC-	03.12.	डब्ल्यू.	07.08.8	जिला मजिस्ट्रेट,

	चौधरी	1	55	चंपारण	2	डब्ल्यू. चंपारण
15	अर्जुन महतो	BC-2	24.01.58	पलामू	15.01.82	कल्याण विभाग
16	अरविंद कुमार	BC-2	02.01.59	रांची	15.01.82	लेखाकार कल्याण विभाग के पद पर अनुशंसित
17	कृष्ण कुमारी	BC-2	30.08.56	वैशाली	27.02.82	कल्याण विभाग
18	राज किशोर	BC-2	09.08.59	हजारी बाग	01.03.82	युवा खेल कला और सांस्कृतिक प्रस्थान में लिपिक पद पर अनुशंसित।
19	मनोहर राम मदनी	BC-2	18.07.55	गिरिडीह	03.03.82	04 बिहार बटालिया एन. सी. सी. भागलपुर में लिपिक

20	गंगाधर मंडल	BC-2	10.09.58	धनबाद	05.03.82	23 बिहार बटालियन एन. सी. सी. भागलपुर के कार्यालय में लिपिक
21	अब्दुल्ला कासमी	B.C.-2	11.04.55	रांची	22.03.82	कल्याण विभाग में लेखाकार के पद पर अनुशंसित
22	सुधीर कुमार गुप्ता	BC-2	31.12.48	भागलपुर	13.04.82	युवा खेल कला और संस्कृति विभाग में लिपिक के पद पर अनुशंसित।
23	ओम प्रकाश मंडल	BC-2	24.05.54	देओघर	14.04.82	युवा खेल कला और संस्कृति विभाग में लिपिक पद पर अनुशंसित।

24	गणेश प्रसाद उमर	BC-2	02.01.52	देओघर	20.04.82	युवा खेल कला और संस्कृति विभाग में लिपिक पद पर अनुशंसित।
25	सूरज प्रसाद	BC-2	22.06.48	ई. चंपारण	06.08.82	डी. एम. डब्ल्यू. चंपारण
26	सुधा रानी जैसवाल	BC-2	01.08.52	ई. चंपारण	06.08.82	युवा खेल कला और संस्कृति विभाग में लिपिक पद पर अनुशंसित।
27	कृष्ण कुमार प्रसाद	BC-2	08.06.53	गोपालगंज	06.08.82	कल्याण विभाग में अनुशंसित
28	नरेंद्र देव	BC-2	28.01.56	नालंदा	06.08.82	कल्याण विभाग में अनुशंसित
29	दशरथ सिंह	BC-2	15.10.57	पलामू	26.12.82	कल्याण विभाग में लिपिक पद

	यादव					पर अनुशंसित
30	कमल कुमार जयसवाल	BC-2	02.03.61	गोड्डा	27.01.83	कल्याण विभाग
31	राम महत ओ	BC-2	07.07.50	पलामू	01.05.83	कल्याण विभाग
32	दिलीप कुमार मैती	BC-2	11.04.58	ई. सिंहभूम	24.08.84	कल्याण विभाग में अनुशंसित
33	शौकत आरा	BC-2	16.03.48	पूर्णिया	02.02.85	कल्याण विभाग में अनुशंसित
34	नरेस एच. के. जैसवाल	BC-2	05.01.58	सहारसा	18.04.85	कल्याण विभाग में अनुशंसित
35	मीरा कुमार	जनरल	19.07.50	पूर्णिया	05.02.80	बाल विकास कार्यालय, पूर्णिया
36	दिनेश्वर	जनर	17.08.	ई.	11.06.8	डी. एम.

	पाठक	ल	54	चंपारण	1	ऑफिस पूर्णिया
37	कृष्ण कुमार	जनरल	01.08.55	पलामू	15.01.82	युवा खेल, कला और संस्कृति प्रस्थान करते हैं।
38	शर्मासिप्ता प्तान्सु कोनार	जनरल	01.01.54	धनबाद	27.02.82	I.C.D.S. समाज कल्याण विभाग, बिहार
39	विनोद कुमार जनरल	जनरल	28.06.53	धनबाद	01.03.82	I.C.D.S. समाज कल्याण विभाग, बिहार
40	आनंद सिंह चौधरी	जनरल	05.02.58	धनबाद	08.03.82	I.C.D.S. समाज कल्याण विभाग, बिहार
41	सतीश कुमार सिन्हा	जनरल	15.11.55	धनबाद	13.04.82	I.C.D.S. समाज कल्याण विभाग, बिहार
42	अजीजुर रहमान	जनरल	02.06.50	दुमका	19.04.82	डी. ई. ओ. ऑफिस मुंगेर

43	नंद किशोर मिश्रा	जनरल	01.06.50	दुमका	20.04.82	कल्याण विभाग
44	विमला देवी	जनरल	05.06.55	गया	06.08.82	सामूहिक पटना
45	बलिराम सिंह	जनरल	13.10.55	गोपालगंज	06.08.82	गोपालगंज सामूहिक ई में अनुशंसित
46	राधा कृष्णा मिश्रा	जनरल	01.05.57	गोपालगंज	06.08.82	गोपालगंज कलेक्टोरेट

1. समायोजन में, आरक्षण सूची का अनुपालन अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसी श्रेणी के आरक्षण के रोस्टर बिंदु के खिलाफ समायोजित/नियुक्त किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं।

2. उनके समायोजन को नई नियुक्ति माना जाएगा और छंटनी से पहले उनकी सेवा के आधार पर उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन छंटनी से पहले उनकी सेवा की गणना पेंशन के उद्देश्य से की जाएगी।

3. सभी कर्मचारी जिला लोक शिक्षा अधिकारी/लोक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में थे। इसलिए सभी कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर जिला लोक शिक्षा अधिकारी/लोक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने समायोजन के परिणामस्वरूप पहले किसी अन्य विभाग में नियुक्ति की है, ऐसे कर्मचारियों को संबंधित कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद, नियुक्ति पत्र की प्रति तुरंत हस्ताक्षरकर्ता को भेजी जावे, ताकि जानकारी माननीय उच्च न्यायालय को भेजी जा सके।

5. किसी भी प्रकार की विसंगति मिलने पर तुरंत सूचित करें, ताकि इसका तुरंत समाधान किया जा सके।

आपका

Sd./-dated 16/03/07

[डॉ. मदन मोहन झा]

आयुक्त और सचिव

ज्ञापन संख्या 270, पटना दिनांकः16 मार्च, 2007"

(जोर दिया गया)

10. इस नियुक्ति पत्र में इस स्थिति को दोहराया गया है कि उत्तरदाताओं की नियुक्ति/समायोजन एक नई नियुक्ति होनी थी और छंटनी से पहले उनकी सेवा के आधार पर, वरिष्ठता का लाभ उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन इसकी गणना केवल पेंशन के उद्देश्य के लिए की जाएगी। उत्तरदाताओं ने उक्त शर्तों पर काम किया और उन्हें चुनौती नहीं दी। हालाँकि, रिट याचिका केवल 2013 में दायर की गई थी, जो सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं 22208/ 2013 थी, निम्नलिखित राहतों के लिएः

"i) प्रतिवादियों को वैधानिक ब्याज के साथ 1.10.2001 से 3.7.2007 की अवधि के याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने का आदेश देते हुए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करना।

(ii) किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है।"

उत्तरदाताओं ने एक संशोधन के माध्यम से और राहत की मांग की, जो इस प्रकार हैः

"1. (iii). उक्त अवधि के याचिकाकर्ताओं को वेतन का भुगतान करने के उद्देश्य से 2001-2007 की अवधि को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं की पिछली सेवाओं की निरंतरता देने

के लिए उत्तरदाताओं को आदेश देते हुए अनिवार्य रूप से एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करना।"

11. जैसा कि दावा किया गया है कि राहत को समर्थन देने का एकमात्र आधार **श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य** में मामले में था**,** जिसमे सामान राहत दी गई थी और उत्तरदाताओं को भी इसी तरह रखा गया था। उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका का अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले में इस न्यायालय के **बिहार राज्य और अन्य बनाम अरुण कुमार** में फैसले पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तरदाताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्हें 20 मई, 2005 के संचार में व्यक्त नीति के अनुसार और 16 मार्च, 2007 के संचार में उल्लिखित नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था। जहाँ तक उत्तरदाताओं ने बिना किसी बाधा के नई नियुक्ति के नियमों और शर्तों पर कार्य किया। इसके अलावा, उत्तरदाताओं का मामला श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) के मामले में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स के समान नहीं था। किसी भी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 को लागू करके वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

12. भले ही उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के इस तर्क पर ध्यान दिया कि अरुण कुमार (उपरोक्त) के

समान मामले में, इस न्यायालय ने पिछले वेतन में राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर मामलों का जवाब देते हुए कहा कि अपीलार्थी श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) के मामले और उत्तरदाताओं के मामले के बीच तथ्यात्मक अंतर को इंगित नहीं कर सकते। इसके अलावा, श्रीमती में निर्णय। राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) 24 जुलाई, 2009 को एस. एल. पी. (सिविल) सं. 18429/2009 की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके इस न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की गई। केवल इसी आधार पर रिट याचिका की अनुमति दी गई। इस प्रकार, रिट याचिका में दावा की गई राहतों को याचिकाकर्ताओं को 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्देश देकर प्रतिवादियों को प्रदान किया गया था।

13. इसलिए, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील सं. 2307/2016 के माध्यम से अपील में मामले को उठाया। खंड पीठ ने भी 15 जनवरी, 2018 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा किया, जो इस प्रकार हैः

> "राज्य, अपीलार्थियों के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं के अधिवक्ता को सुना।
>
> चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को स्वीकार किया, इसलिए श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा के मामले में पारित समान निर्णय के अनुरूप 01.10.2001 से 03.07.2007 की

अवधि के लिए वेतन के भुगतान का निर्देश दिया जिसके आदेश को खंड पीठ के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। समान स्थिति में निरंतरता बनाए रखने के हित में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है और ऊपर दर्शाई गई अवधि के लिए भुगतान के लिए निर्देश दिया है।

हम क्रम में कोई कमी नहीं पाते हैं। याचिका खारिज की जाती है।"

14. अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि जिस एकमात्र आधार पर उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को राहत दी है, वह कमजोर है। इसके लिए, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स, उत्तरदाताओं मामले में लागू नहीं होता है, और इसके आलावा श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर), के विपरीत, उत्तरदाता न केवल 1 अप्रैल, 2001 से योजना को समाप्त करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ पारित समाप्ति आदेश को चुनौती देने में विफल रहे, बल्कि 20 मई, 2005 के संचार में व्यक्त राज्य की नीति और 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों दोनों को चुनौती देने में भी विफल रहे। ऐसा करने में विफल रहने के कारण, उत्तरदाता किसी भी तरह की राहत के हकदार नहीं थे। इसके अलावा, वाद हेतुक पहले 2001 में, फिर मई 2005 में और फिर मार्च 2007 में उत्पन्न हुआ, लेकिन वर्ष 2013 में पहली बार उत्तरदाताओं

द्वारा समाप्ति आदेश या समाप्ति आदेश को चुनौती दिए बिना उल्लिखित अवधि के लिए पिछले वेतन में राहत की मांग करने वाली रिट याचिका दायर की गई। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका कमियों से ग्रसित है। तब यह तर्क दिया जाता है कि श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर),के मामले में उच्च न्यायालय ने बहाली का निर्देश दिया और, एक परिणामी राहत के रूप में, समाप्ति आदेश को अपास्त करने के बाद, पिछले वेतन के भुगतान का आदेश दिया। वर्तमान मामले में, समाप्ति आदेश या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के खिलाफ कोई चुनौती नहीं है, जो उत्तरदाताओं की नई नियुक्ति है। यदि यह बहाली का मामला नहीं है, तो बताई गई अवधि के लिए मजदूरी वापस देने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसके अलावा, चूंकि उत्तरदाताओं ने प्रासंगिक अवधि के दौरान बिल्कुल भी काम नहीं किया था, इसलिए 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' का सिद्धांत अनिवार्य रूप से लागू होगा।

15. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को राहत देते हुए, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) में दिए गए फैसले में दिए गए कथन पर भरोसा किया है। इस न्यायालय ने 24 जुलाई, 2009 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.18429/2009 को खारिज करके उस फैसले को बरकरार रखा है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (उपरोक्त) के मामले का फैसला करते समय बिनोद कुमार वर्मा के मामले में उसी उच्च न्यायालय के

फैसले को बदल दिया था, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय ने 16 दिसंबर, 2005 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.11560/ 2005 को खारिज करके की है। कृष्णंदन सिंह में उसी उच्च न्यायालय के फैसले और अमर नाथ प्रसाद कर्ण , योगी कामती और सुनील कुमार और असगर अली 8 में दिए गए फैसलों पर भी भरोसा किया गया है। इस न्यायालय ने 18 जुलाई, 2014 को विशेष अनुमति याचिका (सी) सी. सी. Nos.10361-10364/ 2014 को खारिज करके असगर अली मामले में निर्णय की पुष्टि की है। इसके अलावा, 10 अक्टूबर, 2009 के एल. पी. ए. No.359/2009 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि 2 अगस्त, 2013 को एस. एल. पी. (सी) No.1377/ 2011 को खारिज करके की गई। जहाँ तक बिहार राज्य बनाम अरुण कुमार (उपरोक्त) और सम्बंधित मामलों में इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में प्रस्तुत किया कि वही अलग है। उत्तरदाताओं के अनुसार, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा और उच्च न्यायालय के समक्ष सफल होने वाले अन्य याचिकाकर्ता की नियुक्ति 20 मई, 2005 की नीति के परिणामस्वरूप समान नियमों और शर्तों पर थे। उत्तरदाताओं ने कहा कि श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) के मामले में निर्णय का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है जिसे इस न्यायालय ने संबंधित विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके बरकरार रखा है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि योग्यता से रहित होने के कारण अपील को खारिज कर दिया जाए।

16. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नवनीति प्रसाद सिंह को सुना है।

17. विचार के लिए जो प्रमुख मुद्दा उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अनुरोध के अनुसार राहत उन उत्तरदाताओं को दी जा सकती है, जो न केवल संबंधित समय पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2001 से समाप्ति को चुनौती देने में विफल रहे, बल्कि 20 मई, 2005 के संचार में उल्लिखित राज्य सरकार के नवीनतम नीतिगत निर्णय को भी चुनौती देने में विफल रहे, जिसमें बर्खास्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में उसके तहत निर्धारित नियमों और शर्तों पर और 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को शामिल किया गया था ।न तो एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस पहलू पर कोई विस्तार किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यांत्रिक रूप से श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) में निर्णय का पालन किया। वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा जिस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, वह यह है कि श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (उपरोक्त) में दायर रिट याचिका में 1 अप्रैल, 2001 के बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देनी थी, जिसमें उक्त याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सफल रही कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति प्रौढ़ शिक्षा योजना में थी न कि गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में।

उस मामले में उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह थी कि गैर-औपचारिक शिक्षा योजना को बंद करने से, जिसमें संबंधित याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर काम कर रहा था, वयस्क शिक्षा योजना के संवर्ग में उसकी सेवा की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। विशेष रूप से, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) में, याचिकाकर्ता अपने समाप्ति आदेश को चुनौती देने में सफल रही और इसे बहाली और मौद्रिक लाभों की परिणामी राहत के साथ अलग कर दिया गया, जिसमें संबंधित अवधि के लिए पिछला वेतन शामिल था।

18. वर्तमान मामले में, हालाँकि, उत्तरदाताओं ने न तो 1 अप्रैल, 2001 से गैर-औपचारिक शिक्षा योजना को बंद करने के बाद समाप्ति आदेश को और न ही 20 मई, 2005 की नीति जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया है या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र को चुनौती दी है। यहां तक कि 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी और पिछली सेवाओं की गणना केवल पेंशन देने के उद्देश्य से की जाएगी और इससे अधिक कुछ नहीं। निर्विवाद रूप से, उत्तरदाताओं ने बिना किसी बाधा के नियुक्ति के ऐसे नियमों और शर्तों पर कार्य किया। उन्होंने केवल वर्ष 2013 में विषय रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना, जब पहली बार 1 अप्रैल, 2001 को, फिर 20 मई, 2005 को और एक बार फिर 16 मार्च, 2007 को कार्रवाई का कारण सामने आया। जब तक उत्तरदाताओं को उनके पिछले पद (1 अप्रैल, 2001

से पहले आयोजित) में बहाल नहीं किया जाता है, तब तक वापस मजदूरी देने का सवाल ही नहीं उठेगा। पिछले वेतन की राहत को केवल बहाली के आदेश से जोड़ा जा सकता है। इसे पृथक रूप से या उस मामले के लिए उस अवधि के दौरान प्रदान नहीं किया जा सकता है जब उत्तरदाता बिल्कुल भी रोजगार में नहीं थे।

19. इसलिए, हमें यह विचार रखने में कोई संकोच नहीं है कि कथित राहतों के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका एक से अधिक कारणों से गुण-दोष से रहित है। सबसे पहले, यह केवल वर्ष 2013 में दायर होने के बाद से बाधाओं से ग्रसित है। दूसरा, 1 अप्रैल, 2001 से समाप्त होने और 20 मई, 2005 की नीति या 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों को शामिल करने के लिए कोई चुनौती नहीं है। उत्तरदाताओं के पक्ष में बहाली का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था और इस तरह के आदेश के बिना, उत्तरदाताओं को उस अवधि के लिए वापस मजदूरी नहीं दी जा सकती थी जिसके दौरान वे अपीलार्थियों के रोजगार में नहीं थे और इसलिए भी कि उन्होंने उस अवधि के दौरान काम नहीं किया था। तीसरा, जिस योजना के संबंध में उत्तरदाताओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, उसे 1 अप्रैल, 2001 से बंद कर दिया गया था। बहाली का कोई भी आदेश उसके बाद की अवधि के लिए और 16 मार्च, 2007 को एक नए पद पर उत्तरदाताओं की नियुक्ति तक पिछले वेतन से बहुत कम नहीं किया जा सकता था। यदि

जिस योजना में वे कार्यरत थे, उसे समाप्त कर दिया गया है, तो अदालत 1 अप्रैल, 2001 से योजना के उन्मूलन के बाद की अवधि के लिए वापस मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकती है। चौथा, 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' का सिद्धांत उत्तरदाताओं को पिछले वेतन की राहत से वंचित कर देगा। पाँचवाँ, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा (ऊपर) में निर्णय तथ्यों पर अलग है और किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दी गई राहत इसमें उत्तरदाताओं को समान राहत देने का आधार नहीं हो सकती है, जो कि विद्यमान विनियमों या नीति के अनुरूप नहीं है, इसके बाबजूद इस न्यायालय द्वारा उस मामले में राज्य की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। अंत में, राज्य में इस न्यायालय के निर्णय में अंतर्निहित सिद्धांत बिहार और अन्य बनाम अरुण कुमार (ऊपर) उत्तरदाताओं के मामले में अंतिम शक्ति के रूप में लागू करेंगे।

20. प्रत्यर्थियों के अधिबकता को यह बताते हुए दुख हुआ कि समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के अन्य सभी मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक अवधि के लिए पिछले वेतन की राहत दी गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करके इस न्यायालय तक बरकरार रखा गया है और इस कारण से, समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, **अश्विनी कुमार और अन्य बनाम बिहार**

राज्य और अन्य, में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था, विशेष रूप से, पैराग्राफ 18 में कहा गया है ।उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

> "18. अब हमारे लिए उपरोक्त तीन बिंदुओं के अपने उत्तरों के आलोक में स्थिति का जायजा लेने का समय है। इन उत्तरों के तार्किक परिणाम के रूप में अपीलों को खारिज किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय अच्छी तरह से टिकाऊ पाया गया है। मानवीय आधार पर इन अपीलार्थियों की सेवाओं को बनाए रखने के लिए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब डॉ. मलिक द्वारा 6000 नियुक्तियों को राज्य के राजकोष में अवैध रूप से भरा हुआ पाया गया और जब केवल 2250 स्वीकृत पद होते हैं, तो इस बारे में स्पष्ट जानकारी के अभाव में कि कौन सबसे वरिष्ठ थे और कौन से स्वीकृत पद उपलब्ध थे, जिसके खिलाफ उन्हें फिट किया जा सकता था, तो किसी भी न्यायिक सर्जरी का सहारा लेकर 3750 की राशि के अतिरिक्त कर्मचारियों के हटाने योग्य भार को हटाने के लिए एक अभियान भी शुरू करना असंभव होगा। एक बार जब उनकी भर्ती का स्रोत दूषित पाया जाता है तो उन्हें सभी को बोर्ड के अनुसार चलना होगा। **न ही हम यह कह सकते हैं कि लाभ केवल 1363 अपीलार्थियों को ही उपलब्ध कराया जा सकता है,**

जैसा कि हमारे समक्ष इसी तरह से सीमित अन्य कर्मचारी और जिन्होंने पहले उच्च न्यायालय या इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा और जो पक्ष में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे भी राज्य के खिलाफ इसी तरह की राहत का दावा करने के हकदार होंगे, जिसे उन सभी के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा उन्हें भेदभावपूर्ण व्यवहार का दोषी ठहराया जाएगा, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, सब कुछ एक साफ स्लेट पर शुरू होना चाहिए। दया के साथ न्याय को कम करने के सिद्धांत पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखी गई निर्भरता को भी इन मामलों के विशिष्ट तथ्यों पर सेवा में नहीं दबाया जा सकता है क्योंकि दया भी न्याय पर आधारित होनी चाहिए। एच. सी. पुट्टास्वामी के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी वर्तमान मामलों के तथ्यों पर अपीलार्थियों के लिए कोई सहायक नहीं हो सकता है क्योंकि उस मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थापना पर किसी भी संख्या में रिक्तियों का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए पूर्ण वित्तीय शक्तियां थीं। उनकी ऐसी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। इसलिए, नियुक्त व्यक्तियों के प्रारंभिक प्रवेश को अनधिकृत या दूषित या दूषित नहीं कहा जा सकता है।

जिस तरह से भर्ती के बाद उन्हें अधीनस्थ अदालतों के प्रतिष्ठानों को दिया गया, उसमें गलती पाई गई। यह अभ्यास दूषित बना रहा। लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय की सेवा में मूल प्रविष्टियां अनधिकृत नहीं थीं, इसलिए इन उम्मीदवारों/कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है। कर्मचारियों का प्रारंभिक प्रवेश अपने आप में अनधिकृत है, न ही स्वीकृत रिक्तियों के खिलाफ और न ही डॉ. मलिक को तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत योजनाओं के लिए रिक्तियों या पदों को बनाने की शक्ति सौंपी गई थी। नतीजतन, इन सभी अपीलार्थियों की सेवाओं की समाप्ति में दोष नहीं पाया जा सकता है। न ही उनके द्वारा निरंतर सेवा के साथ बहाली के दावे के अनुसार कोई राहत उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती है।"

(जोर दिया गया)

21. पहले से दर्ज किए गए कारणों के कारण, विचाराधीन तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णयों में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति जिसमें संबंधित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई है, अलग है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन याचिकाओं में, समाप्ति का आदेश चुनौती का विषय था और विवादित समाप्ति को दरकिनार करते हुए, अदालत ने संबंधित याचिकाकर्ताओं को

पिछले वेतन के साथ बहाली की परिणामी राहत प्रदान की। हालाँकि, यहाँ उत्तरदाताओं ने, उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, समाप्ति के आदेश को चुनौती नहीं दी, जो उस योजना के उन्मूलन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2001 से हुई थी जिसमें वे कार्यरत थे। इसलिए, एक समग्र दृष्टिकोण लेते हुए उत्तरदाता उन नियमों और शर्तों पर कार्य करते हुए राहत के हकदार नहीं हैं, जिन पर वे 16 मार्च, 2007 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से लगे हुए थे।

22. तदनुसार, यह अपील सफल होनी चाहिए। एल. पी. ए. संख्या 2307/2016 में 15 जनवरी, 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका, सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 22208/ 2013 होने के कारण, खारिज की जाती है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

दिव्या पांडे अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अधिवक्ता शिव बहादुर सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।